न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 16/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00043

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री रमण लाल मीणा पिता श्री नाथु मीणा जाति भील निवासी 126, टामटिया (चिरोला) भुवासा तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती अम्बा पत्नि श्री रमण लाल मीणा जाति भील निवासी 126, टामटिया (चिरोला) भुवासा तहसील धाटोल जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
3. श्री मानशंकर पिता हवजी निनामा जाति भील निवासी 44, भुवासा तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 20–07–2021

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री रमण लाल मीणा पिता श्री नाथु मीणा जाति भील निवासी 126, टामटिया (चिरोला) भुवासा तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2– श्रीमती अम्बा पत्नि श्री रमण लाल मीणा जाति भील निवासी 126, टामटिया (चिरोला) भुवासा तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) को दिनांक 31.03.2017 को राशि रुपया 4,00,000 (अक्षरे चार लाख रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। जिसमे जमानतदार श्री मानशंकर पिता हवजी निनामा जाति भील निवासी 44, भुवासा तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 23–01–2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 5,05,200 रू. (पॉच लाख पॉच हजार दो सौ) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पुर्नः भुगतान हेतु सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री रमण लाल मीणा पिता श्री नाथु मीणा की सम्पति पट्टा संख्या 01 संकल्प सं. 01/04.08.2010, आबादी सर्वे नं. 1475 जो ग्राम टामटिया (चिरोला), ग्राम पंचायत भुवासा, पंचायत समिति घाटोल व जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, माप लगभग 850.75 वर्ग गज है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में श्री लक्ष्मण जी पिता धुलिया का मकान, दक्षिण में श्री काना पिता कचरु का खेत, पूर्व में नाथु पिता रतु सरपोटा का निजी खेत एवं पश्चिम में प्रार्थी [illegible] मकान है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के [illegible] उससे सम्बन्धि[illegible] कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24–01–2020 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। दिनांक 12.02.2021 को अप्रार्थी सं.1 व 2 एवं दिनांक 01.03.2021 को अप्रार्थी सं.3 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार निगम अधिवक्ता, श्री इशरत खान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 14.07.2021 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही करने निवेदन करते हुए प्रकरण में बहस हेतु कथन किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागणों की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से ऋण की राशि जमा कराने व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अल्प समय चाहा गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है न ही जवाब प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणो को पर्याप्त समय प्राप्त होने पर भी ऋण राशि जमा करने में असफल रहे है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 20–07–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:37 IST
Reason: SelfAttested

(अंकित कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner